न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 75 आर 15/08–09

रामचंद्र महतो अपीलकर्ता

बनाम

सोमरा पाहन प्रतिवादी

आदेश

7/19.11.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 160/07–08 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 30.7.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
कोकर	126	893	4 कट्ठा

अपीलकर्ता के आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन उनकी दादी मो0 धुबन उर्फ धोतन पति कजरु महतो ने जमींदार बहिरा पाहन पिता लॅगड़ा पाहन से हुक्मनामा के द्वारा प्राप्त किया था। बहिरा पाहन जमींदार थे एवं उनकी निःसंतान मृत्यु हो चुकी है। हुक्मनामा में दर्ज है कि अपीलकर्ता की दादी ने मूल्य के रुप में 90 रुपये का भूगतान किया था। हुक्मनामा से जमीन प्राप्त करने के तुरंत बाद विवादित जमीन पर मकान एवं कुॅआ का निर्माण किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता की दादी के नाम से रॉची नगर निगम में होल्डिंग नं0 810/वार्ड 8 ए कायम हुआ। 1965 में जमीन पर पक्के मकान का निर्माण किया गया। निम्न न्यायालय से अपीलकर्ता को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। जब दखल देहानी हेतु अंचल कार्यालय से कर्मचारी गये तो छानबीन से यह पता चला कि निम्न न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध जमीन वापसी का आदेया पारित किया गया है एवं नोटिस तामिला में '' लेने से इंकार किया'' दर्ज है परन्तु गवाही में किसी का हस्ताक्षर नहीं है। निम्न न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित जमीन बकास्त भुॅइहरी है जिसे

बहिरा पाहन ने 90 रुपये लेकर सादा हुक्मनामा द्वारा अपीलकर्ता के दादी को हस्तांतरित किया था। अपील आवेदन में दावा किया गया है कि यह मामला कालबाधित है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनस गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराया एवं बताया कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन बकास्त भुँइहरी डाली कतारी है। यह खतियान में बहिरा पाहन के नाम दर्ज है जिनके कोई पुत्र नहीं थे। लोरेन पाहन उनके नजदीकी रिश्तेदार थे जो दखलकार हुए। उनके पुत्र बुधु पाहन थे जिनके उत्तराधिकारी वर्तमान प्रतिवादीगण हैं। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अपीलकर्ता के कागजात बनावटी एवं जाली हैं तथा तथाकथित हुकुमनामा झुठा है। इनका यह भी कहना है कि जमीन का नामांतरण गलत तरीके से हुआ है।

वर्तमान अपील वाद में सभी कागजातों और बहस को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रश्नगत भूमि बकास्त भूइहरी है जिसे हुकुमनामा के द्वारा प्रथम पक्ष ने हासिल किया है। अपीलकर्ता का दावा है कि भूमि पर 1961–62 में ही होल्डिंग कायम हो गई लेकिन सम्बन्धित पदाधिकारी का कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करके भूमि का हस्तांतरण किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

अतएव अपील अस्वीकृत किया जाता है। दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी, शहर को आदेश भेजें।

दिनांकः– 19.11.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता
रॉची।